

पत्रावली का कार्यवाही भंग इतिहास

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 24-12-21 को पेश हो।

रीडर
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 20-12-21 को पेश हो।

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 26-3-21 को पेश हो।

रीडर
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो।

रीडर
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 18-5-21 को पेश हो।

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 2-7-6-21 को पेश हो।

रीडर
उपरखण्ड अधिकारी माण्डल

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 2-7-21 को पेश हो।

14-10-21 पत्रावली प्रशासन गांवों के लेग अफियान
कैम्प कबराडिया गांधी पंचायत में पेश हुई।
भायत नहसीलफार माण्डल से मौका रिपोर्ट
प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली किया गया।



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मग इतिहास प्रकृत जग

अहकाम
हुकम के
में जग

प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फँसल नुमा होकर नम्बर
से कम हो।

डॉ. पूजा स्वसेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रालय उपखण्ड

सीन अधिकारी :-

ख्या :- 205/19 प्र

आमसन्द 3/00

गान्धुशम 510 कु

प्रार्थना

थी की ओर से एक प्रार्थ

किया कि ग्राम.....के

संयुक्त खातों की आर

कुमुदीया.....हेव

वा के सीमा चिन्ह नहीं

खाते की भूमि की पत्थ

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न

क्रनार्थ से यह बात सिद्ध

री है। वैसे भी इस प्रव

नथा न किसी प्रकार अ

त के आधार पर आवेद

प्रार्थी का प्रार्थना धारा

हल्का.....के

.....कुल

के चारो तरफ सीमा

की किये जाने हेतु



नम्बर व तारीख
अहकाम जो इन
हुकूम की तारीख
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

गसीन-अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

संख्या :- 205/19 प्रा.पञ्ज

अभिज्ञान सं. 5/0. शा. मल्लख नाहाण विवासी- कबराडिया त. 0 गा. 05 (कॉ. 0) --प्राथी

बनाम

1. गानुशम सो. सुका व्यास निवासी- कबराडिया तहसील - गा. 05 (कॉ. 0) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 14-10-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
न किया कि ग्राम.....~~कबराडिया~~.....पटवार हल्का.....~~कबराडिया~~.....तहसील मांडल/में उसके
/संयुक्त खातों की आराजी नं.....1325.....1316.....1649.....कुल किता003.....
.....~~003~~.....हेक्टेयर.....~~1.61~~.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
विवाह के सीमा चिन्ह नहीं होने से आयें दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते
वृत्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....09-12-19.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का
कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
शान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....~~कबराडिया~~.....
पटवार हल्का.....~~कबराडिया~~.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....1325.....1316.....1649
.....कुल किता003.....रकबा.....~~003~~.....हेक्टेयर.....~~1.61~~.....
म के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....~~डा. ल. म. म.~~.....को4400/-
पर कमीशनर फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें।
कमीशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
लान्ड को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की 2021
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021